2.1

प्रतिवेदन

कार्य का नाम– जनपद अल्मोडा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम थलमाड़ को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उपरोक्त मोटर मार्ग की प्राशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 2454/111–2/05 (प्रा0आ0)/05 दिं0 28–10–2005 द्वारा 6 कि0मी0 लम्बाई हेतु रु0 83.40 लाख की प्राप्ति हुई है।

उपरोक्त मोटर मार्ग हिनौला–काने खलपाटी मोटर मार्ग के किलोमीटर 1 से गिंगड़े नामक स्थान से आरम्भ होती है। यह मार्ग स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम थलमाड़ तक आता है। उक्त प्रास्तावित मार्ग में गिंगड़े, देवायल, पोखरी, घचकोट, थलमाड़ आदि ग्राम पड़ते हैं। इस मार्ग के पक्का होने पर स्थानीय जनता को रोजगार के अवसर प्राप्त होगें। इस मार्ग के बन जाने से बच्चों को स्कूल जाने में सुविधा होगी। तथा कृषकों को अपनी उपज मण्ड़ी तक ले जाने में सुविधा प्राप्त होगी एंव क्षेत्र का विकास होगा। उक्त मार्ग बनाने के लिए वन पंचायत भूमि, सिविल एंव सोयम भूमि के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।

उक्त मार्ग की विभिन्न लंबाई में वन पंचायत भूमि, सिविल एंव सोयम भूमि, नाप भूमि पड़ती है। प्रश्नगत मार्ग का संयुक्त निरीक्षण दिं0 22–03–2011 को किया गया है। ((आख्या पृष्ठ संख्या पर संलग्न है) मार्ग निर्माण हेतु 7 मीटर चौड़ाई में वन भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। जो न्यूनतम है मार्ग निर्माण हेतु अन्य कोई वैकल्पिक संमरेखण उपलब्ध नहीं है। मार्ग का संमरेखण इस प्रकार तय किया गया है। कि मार्ग में कम से कम वृक्ष प्रभावित हो। मार्ग के संमरेखण में कोई मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्थान आदि धार्मिक स्थल नहीं पड़ते है। मार्ग का भूगर्भीय निरीक्षण भू–वैज्ञानिक द्वारा कराया गया है। (आख्या पृष्ठ संख्या पर संलग्न है) भू–वैज्ञानिक द्वारा प्रास्तावित संमरेखण को उपयुक्त बताया गया है। उक्त मार्ग में आरक्षित वन भूमि नहीं पड़ती है।

अतः प्रश्नगत कार्य में वन पंचायत भूमि 1.218 हे0 तथा सिविल एंव सोयम भूमि 0.987 हे0 प्रभावित होती है। कुल 2.205 हे0 भूमि के हस्तान्तरण हेतु प्र स्ताव प्रेषित किये जा रहे हैं।

(अशोक कुमार)
सहायक अभियन्ता (चतुर्थ)
प्रा0ख0लो0नि0वि0 रानीखेत
मुख्यालय रामनगर (नैनी0)

(के0एस0असवाल)
अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0लो0नि0वि0 रानीखेत